

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

रीडर/2019/491

पीठारसीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 15/03/19

प्रार्थीगण
1 शेरसिंह पुत्र सरदानसिंह 2 सायर कंवर पत्नी सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी नागणेचियान दूण्डा, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 वीराराम 2 ताराराम पिसारान पताराम जाति सुथार 3 देरावरसिंह 4 अणदरसिंह जाति राजपूत 5 संतुराम पुत्र गोवताराम जाति गर्ग 6 देवी पत्नी भूराराम 7 चुतराराम 8 ईशराराम पिसारान मंशाराम 9 हनुमानराम पुत्र फुसाराम 10 गोदूराम 11 लुणाराम पिसारान मेहराण 12 शिवलाल पुत्र भीखाराम जाति गर्ग 13 लक्ष्मणराम 14 हुकमाराम 15 रेशमराम पिसारान चेतनराम 16 हरीदर्शन 17 जगदीश 18 श्रवण पिसारान निम्बाराम 19 धन्नाराम पुत्र किरताराम जाति मेघवाल 20 केशाराम पुत्र मंगलाराम जाति स्वारी निवासी नागणेचियान दूण्डा, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 739/2018

दिनांक- 15.03.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नागणेशियान दूण्डा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 846/282 रकबा 26.00 बीघा, खसरा संख्या 861/282 रकबा 36.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 15/03/19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 492-95-
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. शेरसिंह पुत्र सरदानसिंह जाति राजपूत निवासी नागणेचियान दूण्डा, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी विराराम पुत्र पताराम वगैराह जाति सुथार निवासी नागणेचियान दूण्डा, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर